न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2016

अपीलांट

1. श्रीमति हरकंवर धर्मपत्नी हरिसिंहजी उम्र 52 वर्ष
2. श्रीमति रंजन कंवर धर्मपत्नी केसरसिंहजी उम्र 23 वर्ष जाति राजपूत निवासी–बिशनगढ तहसील व जिला जालोर।
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगारामजी जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी जालोर तहसील व जिला जालोर।
4. श्रीमति पिंकी गहलोत धर्मपत्नी धनवन्त गहलोत जाति माली उम्र 25 वर्ष, निवासी जालोर तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. अभयसिंह गोदपुत्र वीरसिंह
2. श्रीमति तीजकंवर बेवा वीरसिंह
3. श्रीमति बंसकंवर बेवा वीरसिंह जाति राजपूत निवासी बिशनगढ तहसील व जिला जालोर
4. श्रीमति देसकंवर धर्मपत्नी नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी रावली सेरी माडवला तहसील व जिला जालोर।
5. कंकर कंवर धर्मपत्नी परबतसिंह जाति राजपूत निवासी रामदेव मंदिर के पीछे बिशनगढ तहसील व जिला जालोर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नवीन गहलोत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 अभयसिंह बनाम तीजकंवर आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 04 व 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकारान के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी. सी पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी 1349 में से मूल खातेदार रेस्पोडेन्ट श्रीमति तीज कंवर एवं श्रीमति बंसकंवर जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान खरी कर कब्जा प्राप्त किया है एवं बाद में राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का नाम म्यूटेशन भरे जाकर स्वीकार किये जा चुके है एवं मौके पर उक्त आराजी तरमीम हो चुकी है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 1349 की खातेदार श्रीमति हरकंवर खसरा नंबर 2040/1349 की खातेदार श्रीमति रंजनकंवर खसरा नंबर 2041/1349 की खातेदार श्री जितेन्द्र कुमार एवं 2042/1349 के खातेदार श्रीमति पिंकी गहलोत व 2043/1349 के खातेदार रंजन कंवर, जितेन्द्र कुमार एवं पिंकी गहलोत दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण को जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया, जबकि जैर अपील निर्णय व डिक्री में खसरा नंबर 1349 का उल्लेख है। उक्त खसरा नंबर की आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। जिससे अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री से पूर्णतया प्रभावित है। जिससे अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।

वकील अपीलांट की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत 2072 से 2075 प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार खसरा नंबर 1349 की खातेदार श्रीमति हरकंवर खसरा नंबर 2040/1349 की खातेदार श्रीमति रंजनकंवर खसरा नंबर 2041/1349 की खातेदार श्री जितेन्द्र कुमार एवं 2042/1349 के खातेदार श्रीमति पिंकी गहलोत का नाम जमाबंदी में अंकित है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत खसरा नंबर 1349 का अंकन होने से उक्त पक्षकारान का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री से हक प्रभावित होना प्रमाणित होता है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम बिशनगढ के खसरा नंबर 157, 158, 159, 1372, 1373, 1194/1730, 1349, 1374, 1375, 1376, 1377 के संबध में प्रस्तुत कर कुल आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी में से खसरा नंबर 1349 की खातेदार श्रीमति हरकंवर खसरा नंबर 2040/1349 की खातेदार श्रीमति रंजनकंवर खसरा नंबर 2041/1349 की खातेदार श्री जितेन्द्र कुमार एवं 2042/1349 के खातेदार श्रीमति पिंकी गहलोत का नाम जमाबंदी में अंकित है। किन्तु उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि तमाम रेकर्डेड खातेदारान को राजस्व वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को स्वर्गीय वीरसिंह द्वारा गोद नहीं लिया गया है, एवं स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अकेली श्रीमति तीजकंवर द्वारा गोद लेना बताया है। सर्वप्रथम वीरसिंह की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट तीजकंवर एवं बंसकंवर समान हक निहित हो जाते है। इस प्रकार संपूर्ण वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा श्रीमति बंसकंवर का वीरसिंह की मृत्यु के साथ ही निहित हो चुका था। जिससे कानूनन नहीं हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहां महिला किसी व्यक्ति को गोद लेती है तो धारा 12(सी) हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरणपोषण अधिनियम के तहत गोदपुत्र को गोद माता के जीवनकाल में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट श्रीमति तीजकंवर व बंसकंवर को खसरा नंबर 1349 का रेकर्डेड खातेदार होने से उक्त खसरा नंबर की भूमि को बेचान करने का अधिकार था। अपीलांटगण ने उक्त आराजी उक्त पक्षकारान से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान खरीद की है। तथा रजिर्स्ट्रड बेचान निरस्त करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुने प्रशासन गांवो के संग अभियान में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम बिशनगढ के खसरा नंबर 157, 158, 159, 1372, 1373, 1194/1730, 1349, 1374, 1375, 1376, 1377 के संबध में प्रस्तुत कर कुल आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। सर्वप्रथम हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 1349 की आराजी को श्रीमति तीजकंवर एवं बंसकंवर ने अपीलांटगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचान की। जिसके आधार पर अपीलांटगण के नाम म्यूटेशन भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन हो चुका है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2072 से 2075 हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने के बावजूद वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रावधान है कि वादग्रस्त आराजी के तमाम रेकर्डेड खातेदारान को राजस्व वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने आप को श्रीमति तीजकंवर द्वारा गोद लेना बताया है। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या गोदपुत्र को गोदमाता के जीवित रहते हुए उनके जीवनकाल में संपति में हक अधिकार प्राप्त हो जाते है अथवा नहीं ? इस संबध में हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 (ब) मे स्पष्ट अंकन है कि "the adopted child shall not divest any person of estate which is vested in him of her before the adoption. उक्त अधिनियम के तहत गोदपुत्र को गोदमाता के जीवनकाल में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या ने तीजकंवर के गोदपुत्र होना जाहिर किया है। उक्त धारा अनुसार तीजकंवर के जीवित रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को वादग्रस्त आराजी के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं था। इसके अतिरिक्त (इसके अतिरिक्त) हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side, it is not apt to

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानो के विपरित जाकर प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 अभयसिंह बनाम तीजकंवर आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली